

प्रधान आयुक्त कार्यालय

वस्तु एवं सेवा कर, वडोदरा-1 आयुक्तालय,  
वस्तु एवं सेवा कर भवन  
रेसकोर्स, वडोदरा-390 007



OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER,  
GOODS AND SERVICE TAX,  
VADODARA-I GST COMMISSIONERATE,  
GST BHAVAN, RACE COURSE,  
VADODARA- 390 007

**TRADE NOTICE No. 03/2019-20**

Attention of all the Trade is invited to the following Circulars/Orders/Notifications issued by the Central Board of Excise and Customs, New Delhi for information and necessary action.

Sr. No	Order/Circular/Notification No.	Date	Gist
1	Circular No. 102/21/2019-GST	28.06.2019	Clarification regarding applicability of GST on additional / penal interest- reg.
2	Circular No. 103/22/2019-GST	28.06.2019	Clarification regarding determination of place of supply in certain cases- reg.
3	Circular No. 104/23/2019-GST	28.06.2019	Processing of refund applications in FORM GST RFD-01A submitted by taxpayers wrongly mapped on the common portal- reg.
4	Circular No. 105/24/2019-GST	28.06.2019	Clarification on various doubts related to treatment of secondary or post-sales discounts under GST- reg.
5	Circular No. 106/25/2019-GST	29.06.2019	Refund of taxes paid on inward supply of indigenous goods by retail outlets established at departure area of the international airport beyond immigration counters when supplied to outgoing international tourist against foreign exchange - reg.

2. All the above Circulars can be downloaded from i.e. <http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/gst/cgst-circ-idx-2017>.

3. All the Trade Association, Chambers of Commerce and Industry, members of RAC of this formation are requested to circulate and publicize the contents of this Trade Notice amongst their member constituents. Difficulties, if any, faced in this regard may be brought to the notice of this office.

(Dr. Anir Tyagi)  
Commissioner,  
Central GST & Central Excise,  
GST Vadodara-I Commissionerate

F.No. IV/16-173/TradeNot.Cir/Tech/2015-16-Pt.- II.

Vadodara, Date: 12.07.2019

To,

1. As per mailing list.
2. Notice Board.
3. All the Section of the HQ, CGST Vadodara-I Commissionerate.
4. The Deputy Commissioner/Assistant Commissioner, Central Goods & Service Tax Commissionerate, Division- I to XII, CGST Vadodara-I Commissionerate to be informed to field formations suitable.
5. The Superintendent (Computer Cell), CGST & Central Excise, HQ, CGST Vadodara-I Commissionerate for the purpose of posting it on website.

**व्यापार सूचना संख्या 03/2019-20**

सभी व्यापार संघ/व्यवसायियों, व्यवसाय एवं उद्योग मंडलों, आरएसी के सभी सदस्य तथा सम्बन्धित व्यक्तियों का ध्यान केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और सीमा शुल्क, नई दिल्ली द्वारा जारी किये गए निम्नलिखित परिपत्रों/आदेशों/अधिसूचनाओं की जानकारी तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है:-

क्र.सं	आदेश/परिपत्र सं./अधिसूचना	दिनांक	सारांश
1	परिपत्र सं. 102/21/2019- जी.एस.टी.	28.06.2019	अतिरिक्त / दंड ब्याज पर जीएसटी की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण
2	परिपत्र सं. 103/22/2019- जी.एस.टी.	28.06.2019	कुछ मामलों में आपूर्ति के स्थान के निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण
3	परिपत्र सं. 104/23/2019- जी.एस.टी.	28.06.2019	कॉमन पोर्टल पर गलत तरीके से मैप किए गए करदाताओं द्वारा प्रस्तुत FORM GST RFD-01A में धनवापसी अनुप्रयोगों का प्रसंस्करण
4	परिपत्र सं. 105/24/2019- जी.एस.टी.	28.06.2019	द्वितीयक या बिक्री के बाद के उपचार से संबंधित विभिन्न संदेहों पर स्पष्टीकरण जीएसटी के तहत छूट
5	परिपत्र सं. 106/25/2019- जी.एस.टी.	29.06.2019	आप्रवासन काउंटरों से परे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्थान क्षेत्र में स्थापित खुदरा दुकानों द्वारा स्वदेशी वस्तुओं की आवक आपूर्ति पर दिए गए करों का रिफंड जब विदेशी मुद्रा के खिलाफ आउटगोइंग अंतरराष्ट्रीय पर्यटक को आपूर्ति की जाती है

2. उपर्युक्त सभी परिपत्र <http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/gst/cgst-circ-idx-2017> से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

3. सभी ट्रेड एसोसिएशन, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आरएसी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वह इस व्यापार सूचना में दी गई जानकारी को अपने सभी सदस्यों के बीच परिचालित तथा प्रचारित करें। यदि इस संबंध में किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप उसे इस कार्यालय के ध्यान में ला सकते हैं।

*अश्विनी*

(डॉ. अश्विनी त्यागी)

आयुक्त,  
केंद्रीय जी.एस.टी. और केंद्रीय उत्पाद शुल्क,  
वडोदरा-1 आयुक्तालय

फा.सं. IV/16-173/TradeNot.Cir/Tech/2015-16-Pt II

वडोदरा, दिनांक: 12.07.2019

सेवा में,

1. मेलिंग लिस्ट के अनुसार।
2. नोटिस बोर्ड।
3. सभी विभाग, केंद्रीय कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वडोदरा-1, वस्तु एवं सेवा कर कार्यालय।
4. उप/सह आयुक्त, केंद्रीय कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मंडल। से XII, वडोदरा-1
5. अधीक्षक (कंप्यूटर सेल), केंद्रीय कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वडोदरा-1 (वेबसाइट पर अपलोड करने)